प्रेस नोट दिनांक 29.01.2025

थाना बबुरी, जनपद चन्दौली

- ♦थाना बबुरी पुलिस स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मीनी ट्रक से वाहन 302 पेटी में कुल 2664.6 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- ♦बरामद 302 पेटी में कुल 2664.6 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब की (अनुमानित कीमत 16 लाख रुपये)

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पी.डी.डी.यू. नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना बबुरी के नेतृत्व में थाना बबुरी पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा प्राप्त सूचना कि एक मीनी ट्रक वाहन संख्या UP14KT1146 पर अबैध शराब परिवहन के सम्बन्ध में मद्य निषेध यूनिट विभाग पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बबुरी टीम द्वारा सघन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP14KT1146 मीनी ट्रक को रोक कर चेक करने पर चालक 1. दिलीप केसने पुत्र मुकुन्द केसने निवासी खेडा पत्ती हनुमान मन्दिर तीन पुलिया थाना सिटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्य प्रदेश उम्र 35 वर्ष तथा 2. गुलजार खान पुत्र बरकत अली निवासी 678 कटेहरा दिरयाबाद थाना अतरसुईया जनपद प्रयागराज उ०प्र० उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। तथा उनकें कब्जें से कुल 302 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व धारा 319/338/339/340 बी0एन0एस0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 29.01.2025 को उ0िन0 मधुसुदन राय मय हमराह क्षेत्र मे भ्रमण रात्रि गस्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे लेवा तिराहे पर मौजूद थे कि प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक मीनी ट्रक वाहन संख्या UP14KT1146 पर अवैध शराब परिवहन के सम्बन्ध में मद्य निषेध यूनिट विभाग पटना से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बबुरी चिकया मार्ग चन्द्रप्रभा नदी पुलिया पर मुगलसराय के तरफ आने वाली वाहनों का सघन चेकिंग कराया जाने लगा तभी वाहन संख्या UP 14KT1146 मीनी ट्रक तेज गति से मुगलसराय की तरफ से आती दिखाई दिया तो हम पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन को दूर से ही रुकने का इशारा किया गया तो वाहल चालक तेज गति वाहन को लेकर भागना चाहा परन्तु पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पुल से कुछ दूरी पर चिकया कि तरफ रोक लिया गया एवं चालक व उसके बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति की पहचान चालक 1. दिलीप केसने पुत्र मुकुन्द केसने निवासी खेडा पत्ती हनुमान मन्दिर तीन पुलिया थाना सिटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्य प्रदेश उम्र 35 वर्ष 2. गुलजार खान पुत्र बरकत अली निवासी 678 कटेहरा दिरयाबाद थाना अतरसुईया जनपद प्रयागराज उ0प्र0 उम्र 25 वर्ष के रुप में हुई। दोनो से वाहन मे लदे सामान के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया गया कि वाहन मे आयल फिल्टर जम्मू कश्मीर से लदा है जो झारखण्ड जाएगा दोनो व्यक्तियों को वाहन के उपर भूरे रंग कि प्लास्टिक कि त्रिपाल को हटाने तथा वाहन में लदे हुए सामान को चेक कराने हेतु कहा गया तथा दोनों को साथ लेकर प्लास्टिक कि त्रिपाल हटवाया गया जिसके अन्दर एक रिफरीजेरेटर तरह का केंबिन तैयार दिखाई पड़ा केबिन का दरवाजा खोलवाकर देखा गया तो अन्दर कार्टून मे लदा सामान पाया गया जिनसे एक पेटी अन्दर से निकलवाकर खोलकर देखा गया तो कार्टून मे शराब की बोतले पायी गयी तथा पूरी केविन शराब की पेटियों से भरी हुई है। मीनी ट्रक के केविन को खोलकर लदा सामान को केविन से बाहर निकालकर गिनती की गयी तो 1.32 पेटी इम्पीरियल ब्लु एक पेटी मे 12 बोतल प्रति बोतल 750 ML , 2. 49 पेटी मैक डावल्ड ब्राण्ड प्रति पेटी 12 अदद बोतल प्रत्येक बोतल मे 750 ML, 3.इम्पिरयल ब्लू 75 पेटी प्रतिपेटी 24 अदद बोतल प्रति बोतल 375 ML पायी गयी, 4. क्वाटर इम्पिरियल ब्लु 140 पेटी प्रति पेटी 48 बोतल प्रति बोतल 180 ML व 5.मैक डावल्ड क्वाटर 6 पेटी प्रति पेटी 48 बोतल प्रति बोतल 180 ML बरामद शराब बरामद कर अभियुक्तों को किया गया गिरस्प्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से भागने का कारण पूछने पर पकडे गये व्यक्तियों ने बताया हमारे ट्रक में अवैध शराब है जो हम लोग जम्मू से खरीद कर झारखण्ड ले जा रहे थे पुलिस को धोखा देने हेतु गाडी के अन्दर पुलिस/चेकिंग से बचने के लिये रेफरीजेरेटर मॉडल केबिन बना दिये थे तथा फर्जी बिल्टी बनवा लिये थे, बिल्टी मांगने पर बिल्टी दिखाते हुए बताया कि यह बिल्टी भी फर्जी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.दिलीप केसने पुत्र मुकुन्द केसने निवासी खेडा पत्ती हनुमान मन्दिर तीन पुलिया थाना सिटी कोतवाली जिला खण्डवा मध्य प्रदेश उम्र 35 वर्ष
- 2.गुलजार खान पुत्र बरकत अली निवासी 678 कटेहरा दरियाबाद थाना अतरसुईया जनपद प्रयागराज उ0प्र0 उम्र 25 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 05/25 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व धारा 319/338/339/340 बी0एन0एस0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली अभियुक्त गुलजार खान का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 05/25 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व धारा 319/338/339/340 बी0एन0एस0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली 2-मु0अ0सं0 150/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज बरामदगी विवरण-
- 1.एक मीनी ट्रक टाटा कम्पनी
- 2.जाली व कूटरचित बिल्टी के कागजात तीन प्रति
- 3.32 पेटी इम्पीरियल ब्लु एक पेटी मे 12 बोतल प्रति बोतल 750 ML,
- 4.49 पेटी मैक डावल्ड ब्राण्ड प्रति पेटी 12 अदद बोतल प्रत्येक बोतल मे 750 ML
- 5.इम्पिरियल ब्ल् 75 पेटी प्रतिपेटी 24 अदद बोतल प्रति बोतल 375 ML पायी गयी
- 6.क्वाटर इम्पिरियल ब्लु 140 पेटी प्रति पेटी 48 बोतल प्रति बोतल 180 ML
- 7.मैक डावल्ड क्वाटर 6 पेटी प्रति पेटी 48 बोतल प्रति बोतल 180 ML

कुल 302 पेटी (2664.6)ली0 अवैध अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना बबुरी जनपद चन्दौली 2.30नि0 मधुसुदन राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली 3.30नि0 गुलाम हुसैन थाना बबुरी जनपद चन्दौली 4.हे0का0 योगेश दुबे थाना बबुरी जनपद चन्दौली 5.हे0का0 अशोक यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली 6.हे0का0 शिव प्रकाश मौर्या थाना बबुरी जनपद चन्दौली 7.का0 प्रेमं चन्द दुबे थाना बबुरी जनपद चन्दौली

1.30नि0आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 2.हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 3.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 4.हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 5.हे0का0 राजेश कुमार यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 6.हे0का0 अरविन्द कुमार स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 7.हे0का0 रामानन्द यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 8.का0 अजीत कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली 9.का0 नीरज कुमार मिश्रा स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली

थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली

- ♦ 18.05 लाख रूपये कीमत की 195 ग्राम अवैध हिरोइन के साथ 01 तस्कर गिरफ्तार।
- ♦ कन्दवा पुलिस, स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त हुआ गिरफ्तार।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा लगातार अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्दवा दायराम गौतम की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना कंदवा, सर्विलांट/स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबीर की सूचना पर दिनांक 29.01.2025 को सुबह 04.35 बजे बरहनी पुलिस चेकिंग पोस्ट से 01 दोपहिया वाहन से 195 ग्राम अवैध हेरोइन पदार्थ के साथ एक अन्तर्राजीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी मादक पदार्थ की तस्करी के दौरान जनपद सोनभद्र के थाना शक्तिनगर व छत्तीसगढ़ राज्य के जिला धमतरी,थाना नगरी से जेल जा चुका है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-12/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-13/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 348/2018 धारा 406 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली मु0अ0सं0 276/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र

बरामदगी

195 ग्राम हेरोइन (अनुमानित कीमत 18.05 लाख रुपये)

एक मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त

संतोष कुमार पुत्र स्व0 सालिक साह निवासी सुभाष नगर वॉर्ड न0 8 सैयदराजा थाना सैयदराजा जिला चन्दौली उम्र करीब 41 वर्ष पुलिस टीम का विवरण

- 1.30नि0 रविकान्त चौहान चौकी प्रभारी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 2 उ0नि0आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 3.30नि0 श्रीप्रकाश यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 4.हे0का0 देवेन्द्र सिंह चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 5.हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 6.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 7.हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 8.हे0का0 राजेश कुमार यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 9.हे0का0 अरविन्द कुमार स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 10.हे0का0 रामानन्द यादव स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 11.का0 अजीत कुमार सिंह स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली
- 12.का0 नीरज कुमार मिश्रा स्वाट/सर्विलांस जनपद चन्दौली।

जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सिक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सिक्रय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

थाना मुगलसराय-

- 1.डोडाहे चौहान पुत्र स्व० लक्ष्मण चौहान निवासी ग्राम चन्धासी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
- 1-मु0अ0सं0 335/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय।
- 2-मु॰अ॰सं॰ 213/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसरायं।
- 3-मु०अ०सं० 525/2018 घारा 41,411,414 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।
- 4-मु0अ0स0 518/2018 धारा 379,411 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

थाना सैयदराजा-

- 2.मन्नी अली उर्फ मनी अली पुत्र कल्लू अली उर्फ कल्लू मास्टर उर्फ खलीफा उम्र करीब 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 03 हसरत मोहानी नगर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
- 1-मु0अ0सं0 16/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2- मु0अ0सं0 17/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 3- मु0अ0सं0 107/2023 धारा 147,336,427,504 भादवि थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली